भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 328/2005

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन

निगम और एक अन्य अपीलार्थी (गण)

बनाम

बाल मुकुंद बैरवा प्रतिवादी (गण)

साथ में

सिविल अपील संख्या 318/2005

सिविल अपील संख्या 316-317/2005

सिविल अपील संख्या. 324/2005

सिविल अपील संख्या 1875/2008

सिविल अपील संख्या 3002/2008

सिविल अपील संख्या 954/2009

सिविल अपील संख्या 1687/2007

सिविल अपील सं.5897/2010

(एसएलपी (सी) सं.6472/2006 से उद्भूत)

सिविल अपील सं.5898/2010

(एसएलपी (सी) सं. 6891/2006 से उद्भूत)

सिविल अपील सं.5899/2010

(एसएलपी (सी) सं. 7114/2006 से उद्भूत)

सिविल अपील सं.5900/2010

(एसएलपी (सी) सं. 7678/2006 से उद्भूत)

सिविल अपील सं. 6892/2003

आदेश

1. विलम्ब को माफ किया गया।

2. सभी एसएलपी में अनुमति प्रदान की जाती है।

3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और विवादित निर्णय और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

4. हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश मामलों में, प्रतिवादीगणों को पहले ही सेवा में बहाल कर दिया गया है। हालांकि, एक या दो मामलों में जहां कानूनी सहायता अधिवक्ता द्वारा से प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया है,

उन अधिवक्ता के पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं होते हैं। हम उन मामलों में भी वही आदेश पारित करना उचित समझते हैं, जिसका अर्थ है कि उन मामलों में प्रतिवादीगणों को यदि पहले से ही बहाल नहीं किया गया है, तो उन्हें भी तुरंत सेवा में बहाल किया जाये। इन अपीलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादीगण किसी भी बकाया वेतन के हकदार नहीं होंगे।

5. यदि किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किसी प्रतिवादी को कोई बकाया वेतन का भुगतान किया गया है, तो उस राशि की वसूली राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नहीं की जाएगी।

6. इन अपीलों में उठाए गए कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया गया है। इन अपीलों का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में किया जाता है। इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायाधिपति (दलवीर भंडारी)

न्यायाधिपति (दीपक वर्मा)

नई दिल्ली;

20 जुलाई, 2010.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।